



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124944

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19275/2026

नवनीत कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: भुवनेश कुमार सिंह

विपक्ष के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या -4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. प्रथम शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री पवन कुमार द्वारा आज न्यायालय में दायर वकालतनामा अभिलेख में लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भुवनेश कुमार सिंह, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष कुमार तिवारी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया

3. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 143/2026, धारा 190, 191(2), 103(1), 115(2), 140(1), 127, 3(5), 61(2) बी.एन.एस. के तहत, पुलिस स्टेशन- चांदपुर, जिला बिजनौर के मामले में आवेदक को विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था। बाद में अन्वेषण के दौरान उसका नाम सामने आया, हालांकि आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सौंपी गई है। आगे यह भी कहा गया है कि मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उसे एक सिर की चोट और तीन साधारण चोटें आई थीं। एक सिर की चोट घातक पाई गई और उस चोट को पहुंचाने में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और न ही उसके बताए अनुसार कोई हथियार बरामद हुआ है, जबकि वही हथियार सह-आरोपी निकारंत और सजीत के बताए अनुसार बरामद हुआ है, इसलिए आवेदक को केवल आशंका और शंका के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी अभिनय को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16792 में पहले ही दिनांक 18.05.2026 के आदेश के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसलिए आवेदक की भूमिका भी समान है, इसलिए समानता के आधार पर उसे भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 13.04.2026 से कारागार में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह- अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की सह-अपराधिता कारागारों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी 3038 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में रिपोर्ट किया गया, मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **नवनीत कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण / जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

10. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, बिजनौर के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।